न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या– 484 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या–53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. मीना पत्नी यासीन जाति मुसलमान सा. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. यासीन खान पुत्र सरदार अली जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. कुरेशाबीबी पुत्र मोहम्मदशरीफ जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह.संगरिया।
2. फतेहबानो पत्नी मोहम्मदशरीफ जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह.संगरिया।
3. यारखां पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4. सैयदखां पुत्र नाजरखां जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
5. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
6. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लीलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू अधिवक्ता – वादीगण
2. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण के नाम चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 79/37 खाता कुरेशाबीवी वगैरा ज.सं. 2070–73 में सांझा खाता में आराजी दर्ज है। जिसकी नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण ने आपस में घरू विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार वादीगण के हिस्सा में निम्न आराजी आई है:–

ए– वादीया सं. 1 मीना पत्नी यासीन 0.758है. व वादी सं. 2 यासीन खान पुत्र सरदार अली 0.506है. का कब्जा:– चक 7 एम.एम.के.

134/201	23	4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता
		5/1/0.202 (किला नं. 4 से चिपता हुआ)
		6/1/0.228 (किला नं. 7 से चिपता हुआ
		7/0.253 14/0.253 15/0.075 (किला नं. 14 चिपता हुआ)

वादीगण दावा की दफा 3 के अनुसार मौका पर काबिज है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण का खाता सांझा दर्ज होने के का[illegible] के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादी[illegible] दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का खाता दावा की [illegible] तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किंतु अंत में प्रतिवादीगण ने वा[illegible] के इस निवेदन से स्पष्ट इनकार हो गए। बस यही वाद कारण है। प्रति सं. 5 व 6 के पास आराजी रहन होने के कारण तथा प्रति सं. 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद वादीगण बाबत खाता तकसीम है। जो कि 2 रूपए के न्यायशुल्क पर पेश है। समायत अदालतहाजा व अंदर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः लिहाजा वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद तहकीकात बाद वादीगण निम्न प्रकार क्री फरमाया जावे कि वादीगण का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया कर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में रकमराज अलग कायम किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर रिमदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र र्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी साधारण सम्मन से करवाई गई। उक्त प्रतिवादी उपस्थित नही होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 की तरफ से रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 मीना पुत्री यासीन जाति मुसलमान की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सहकाश्तकार है। इनकी तलबी साधारण सम्मन से करवाये जाने पर भी उपस्थित नही हुये है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 चक 7 एमएमके के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विरोध सामने नही आया है। अतः वादीगण वाद की दफा 3 के मुताबिक खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तामील के बावजूद उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एवं प्रकरण में कोई विरोध नही होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का पत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि वादी संख्या 1 मीना पत्नी यासीन 0.758 है. एवं वादी संख्या 2 यासीन खान पुत्र सरदार अली 0.506 है. का चक नं. 7 एमएमके प.न. 134/201 मु.न. 23 किला नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता 5/1/0.202 (किला नं. 4 से चिपता हुआ) 6/1/0.228 (किला नं. 7 से चिपता हुआ 7/0.253 14/0.253 15/0.075 (किला नं. 14 चिपता हुआ) नह... मु. भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। ... डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official